C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXVII, Eleventh Session, 2012/1934 (Saka)
No. 3, Monday, August 13, 2012/Sravana 22, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
FELICITATION BY THE SPEAKER	**2**
ORAL ANSWER TO QUESTION	
*Starred Question No.41	4-10
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.42 to 60	11-69
Unstarred Question Nos.461 to 690	70-513

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **514-516**

STANDING COMMITTEE ON FINANCE **516**
57th and 58th Reports

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE **516**
40th Report

MATTERS UNDER RULE 377 **531-542**

(i) Need to provide adequate funds for the construction of Adarsha Vidyalayas in Chamarajanagar district, Karnataka

Shri R. Dhruvanarayana 531-532

(ii) Need to take immediate steps to mitigate the plight of farmers in Wayanad, Kerala

Shri M.I. Shanavas 533

(iii) Need to provide education loan to students particularly in Kerala

Shri P.T. Thomas 534

(iv) Need to sanction railway link between Pachore and Shujalpur in Madhya Pradesh

Shri Narayan Singh Amlabe 535

(v) Need to set up industrial units in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Mahendrasinh P. Chauhan 535

(vi) Need to ensure proper repair and maintenance of railway bridges on Ratlam-Khandwa railway line in Madhya Pradesh

Shrimati. Sumitra Mahajan 536

(vii) Need to set up Trauma Centres on National Highways particularly on NH No. 23 and NH No. 75 in Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Sudarshan Bhagat 537

(viii) Need to bring Maripat, Dankaur, Dadri, Etawah, Khurja, Aligarh and Tundla railway stations under Agra Division and also expedite construction of third railway line from Aligarh to Delhi via Ghaziabad

Shri Surendra Singh Nagar 538

(ix) Need to repair railway line between Dhamhara and Koparia railway stations in Bihar under East Central Railways Zone

Shri Dinesh Chandra Yadav 539

(x) Need to provide water for irrigation from the Mettur Dam to farmers in Tamil Nadu

Shri A.K.S. Vijayan 540

(xi) Need to strengthen laws to control incidents of people being used as guinea pigs in clinical trials

Shri P.K. Biju 541

(xii) Need to provide Rajasthan's share of water from the Ranjit Sagar Dam

Dr. Kirodi Lal Meena 542

CHEMICAL WEAPONS CONVENTION (AMENDMENT) BILL, 2012 **544**

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 545

Member-wise Index to Unstarred Questions 546-551

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 552

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 553

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, August 13, 2012/Sravana 22, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

FELICITATION BY THE SPEAKER

Congratulations to sportspersons for winning medals for India in different sports events in London Olympics, 2012

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I am sure, all of you will join me in conveying our heartiest congratulations to Shri Sushil Kumar, Shri Yogeshwar Dutt and Ms. MC Mary Kom for bringing glory to the country by winning the medals for India in different sports events in London Olympics, 2012.

Shri Sushil Kumar won a silver medal in Men's Sixty-six kilogram freestyle wrestling event. Shri Sushil Kumar becomes the first Indian to win individual medals at consecutive Olympic Games in Beijing and London.

Shri Yogeshwar Dutt won bronze medal for the country in the Men's Sixty kilogram freestyle wrestling event.

Ms. MC Mary Kom won bronze medal for boxing in Women's fifty-one kilogram category.

These exceptional accomplishments will inspire upcoming sportspersons across the country.

These sportspersons have made India proud by increasing the final medal tally to six which is a remarkable achievement.

I am sure that House would join me in conveying our best wishes to them and the Indian Sports fraternity for their future endeavours.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Question Hour, Q. 41, Shri Pradeep Majhi.

… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): अध्यक्ष जी, हमने कालेधन के बारे में नोटिस दिया है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Madam, I have also given a notice. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: अभी नहीं, जीरो ऑवर में हम राजनाथ सिंह जी को, गुरुदास दासगुप्त जी को बोलने का मौका देंगे। अभी प्रश्न काल चलने दीजिए और आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

अध्यक्ष महोदया: सफाई कर्मचारियों पर प्रश्न चल रहा है। सफाई कर्मचारियों को जो प्रताड़ना मिलती है तथा जो अपमान उन्हें सहना पड़ता है, उससे सम्बन्धित प्रश्न है इसलिए कृपया व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

* Not recorded.

11.02 hrs.

(Q. 41)

MADAM SPEAKER:Question No.41 Shri Pradeep Majhi .

श्री प्रदीप माझी: : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं हमारे देश में मैनुअल स्क्वैंजर्स की प्रथा को समाप्त करने की सरकार की क्या मंशा है? अभी तक सरकार ने एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे मैनुअल स्क्वैंजर्स प्रथा बंद हो। सन् 1993 में मैनुअल स्क्वैजंर्स एंड कंस्ट्रक्शन आफ ड्राई लैटरिन्स (प्रोहिबिशन) एक्ट आया था। लेकिन आज तक एक भी आदमी पर एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है और न ही किसी को दंडित किया गया है। हमारे देश में करीब दस लाख लोग सिर पर मैला ढोने का काम कर रहे हैं, जो कि देश के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाया है इसलिए मैं मंत्री जी से गुज़ारिश करता हूं कि वह सदन में साफ करें कि सरकार की क्या मंशा है, क्या वह मैनुअल स्क्वैंजर्स प्रथा को रोकना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं?

श्री मुकुल वासनिक: मैडम स्पीकर, यह मैला ढोने की प्रथा जो आज भी हमारे समाज में चल रही है यह हम सभी के लिए, एक समाज के तौर पर, एक मुल्क के तौर पर गंभीर चिंता का विषय है और सरकार राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर इससे निपटने का काम कर रही है। यह अलग बात है कि वर्ष 1992 से लेकर वर्ष 2011 तक तमाम हमारी योजनाएं मैला ढोने वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए लागू होने के बाद आज भी यह समस्या बनी हुई है। माननीय सदस्य ने जो 1993 के कानून का यहां जिक्र किया, मुझे इस बात की जानकारी है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे इस कानून के तहत किसी भी तरह की कोई सजा हुई है। कुछ कमियां 1993 के कानून में हैं, जिन्हें देखते हुए और मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए शुष्क शौचालय पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भारत सरकार एक नया कानून शीघ्र ही बनाने जा रही है। पुनर्वास की जो योजना है, उसे भी हम संशोधित करके और बेहतर ढंग से इस तरह से कि मैला ढोने में जो व्यक्ति शामिल है, उसका हम कैसे पुनर्वास कैसे कर सकते हैं, उस दिशा में हमने काम शुरू कर दिया है। ...(व्यवधान)

श्री प्रदीप माझी : मैडम स्पीकर, अगर सरकार इस प्रथा को बंद करना चाहती है तो जो नया कानून, The prohibition of employment on मैनुअल स्केवेंजर एक्ट and their रिहैबिलिटेशन एक्ट 2012 इस मानसूत्र में आने वाला था वह क्यों नहीं आया और सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि यह बिल सदन में नहीं आया। एजेंडा में बाकी सारे बिल आये लेकिन मैनुअल स्केवेंजर rehabilitation बिल नहीं है और सदन में माननीय मंत्री जी वह बिल कब लाएंगे? ...(व्यवधान)

11.08 hrs.

At this stage, Shri Ganesh Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

श्री मुकुल वासनिक : मैडम स्पीकर, माननीय सदस्य ने जो नये कानून के संदर्भ में चिंता व्यक्त की है मैं उनकी चिंता का बहुत आदर करता हूं। हमने नये कानून का जो प्रारूप बनाया है वह लॉ मिनिस्ट्री के पास वैटिंग के लिए भेजा है और जब वह प्रारूप हमें प्राप्त हो जाएगा तो शीघ्र ही हम उस पर अगली कार्यवाही करेंगे।

SHRI BASU DEB ACHARIA : Madam Speaker, manual scavenging in the 21st Century, which is still continuing, is a national shame. On a number of occasions, the Government has assured the House that they would bring a new legislation in order to eradicate manual scavenging. Still today, nothing has been done. More than ten crore people are engaged in the manual scavenging who are carrying the night soil on their heads. You cannot find this system anywhere in the world except in India and in Pakistan, where this uncivilized system is still continuing. The Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh in June, 2011 had given an assurance that within six months, the manual scavenging would be completely eradicated. Already one year has passed since the Prime Minister has given the assurance. Nothing has been done… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Ask your question.

SHRI BASU DEB ACHARIA: Nothing has been done in regard to eliminate this practice and save these workers who are engaged in this shameful activity. May I know from the Minister whether by the end of this Session, he would bring legislation in this regard? Secondly, I would like to know as to how many of those who are engaged in manual scavenging have been rehabilitated. What is the plan and programme of the Government to rehabilitate ten lakh workers who are engaged in manual scavenging?

SHRI MUKUL WASNIK: Madam Speaker, I would like to assure the hon. Member and the entire House that, as I have mentioned earlier, we take this as a national priority. There is no doubt that continuation of the practice of carrying night soil by human being is a matter of great concern. The sooner we are over with this, the better it is for our society and for our nation.

As far as the legislation is concerned, we are taking it up and I am hopeful that during this Session of the Lok Sabha, we will be able to introduce that. Presently, it is with the Law Ministry which is vetting the draft Bill. After we receive that, we will move for the Cabinet for its consideration. But I would like to tell the hon. Member that the Government, including the Prime Minister, the Chairperson of the NAC, is totally committed. This is the central focus of my Ministry. We will do everything possible to eradicate this practice.

SHRI BASU DEB ACHARIA : What about rehabilitation?… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: यह सफाई कर्मचारी से जुडा हुआ प्रश्न है। मैं चाहती थी कि आप लोग भी पूछते।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12.00 Noon.

11.13 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

MR. CHAIRMAN : Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF SHIPPING (SHRI G.K. VASAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2010-2011.

(ii) Annual Report of the Hooghly Dock and Port Engineers Limited, Kolkata, for the year 2010-2011, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7073/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Mumbai, for the year 2010-2011.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Office of the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, Mumbai, for the year 2010-2011.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7074/15/12)

(3) A copy of the Boiler Attendants' (Amendment) Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 347(E) in Gazette of India dated 9th May, 2012 under sub-section (2) of Section 28A of the Boilers Act, 1923.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

(Placed in Library, See No. LT 7075/15/12)

(5) A copy of the Intellectual Property Appellate Board (Salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 438(E) in Gazette of India dated 11th June, 2012 under sub-section (4) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999.

(Placed in Library, See No. LT 7076/15/12)

(6) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951:-

(i) S.O. 1242(E) published in Gazette of India dated 30th May, 2012, making certain amendments in Notification No. S.O. 1105(E) dated 11th October, 2004.

(ii) The Newsprint Control (Amendment) Order, 2012 published in Notification No. S.O. 1038(E) in Gazette of India dated 9th May, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7077/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Central Silk Board (Amendment) Rules, 2011 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 750(E) in Gazette of India dated 11th October, 2011 under sub-section (3) of Section 13 of the Central Silk Board Act, 1948.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7078/15/12)

(3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987:-

(i) S.O. 1251(E) published in Gazette of India dated 30th May, 2012, exempting the Uttar Pradesh State Agency from the operation of the Order No. S.O. 88(E) dated 17.1.2012 up to the extent of a total quantity of 20,000 bales for the Rabi Marketing Season 2012-2013.

(Placed in Library, See No. LT 7079/15/12)

(ii) S.O. 1417(E) published in Gazette of India dated 22nd June, 2012, regarding extension for a further period of three months from the expiry of the said order or until further order whichever earlier mandating 100% packaging of food grains and sugar in jute packaging material.

(Placed in Library, See No. LT 7080/15/12)

12.01 hrs.

STANDING COMMITTEE ON FINANCE
57th and 58th Reports*

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति (2011-12) के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) कंपनी विधेयक, 2011 के बारे में 57वां प्रतिवेदन।

(2) बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक, 2011 के बारे में 58वां प्रतिवेदन।

12.02 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
40th Report

SHRI ANANTH KUMAR (BANGALORE SOUTH): I beg to present the Fortieth Report of the Business Advisory Committee.

---

* Fifty-Seventh Report and Fifty-Eighth Reports were presented to Hon'ble Speaker on 26 June, 2012 under Direction 71A when the House was not in Session and the Hon'ble Speaker was pleased to order the printing, publication and circulation of the Report under Rule 280 of the Rules of procedure and conduct of Business in Lok Sabha.

MR. CHAIRMAN : The House will now take up 'Zero Hour'. Shri Gurudas Dasgupta.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He is a senior Member. Therefore, we must give him honour.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): I feel privileged that the hon. Chair has permitted me to raise an important issue. I beg the entire House to kindly listen to what I am saying.

The economy of the country is in deep crisis as never before. And this basic issue is being ignored by the Parliament because we have no occasion to listen to any statement of the Government nor we have an occasion to discuss the issue through any specific motion.

The situation is like this. The slow down is unprecedented. There is a fall in investment. There is a decline in production and it is seen in all sectors. In manufacturing, in industry, in agriculture, even in the services sector there is a decline in production.

You will be astonished to know that the latest figure of Index of Industrial Production has come down to 0.1 per cent. What does it mean? Economy is in stagnation; it has come to a standstill. It has never happened in India. The Rupee is on the decline in terms of the dollar. International rating agencies are threatening to downgrade India's rating, and everyday they are saying it would be further downgraded. If it is so done, FDI inflows on which the Government banks so much – they bank so much on foreign money not on Indian resources – India will never be a destination of the foreign funds.

This is an indication of an all-out stagnation in the economy over the years. We cannot attribute it to the international recession alone. The economic policy that is being pursued in India is squarely responsible for bringing the country to a total standstill. On the other hand, there is inflation. It is quite contradictory. In a recessionary period, there is not likely to be inflation; in a situation of inflation,

there is not likely to be stagnation. This is known in economic phraseology as 'stagflation'. The Government is conspicuously silent on this. What is the price of it?

According to the Consumer Price Index, the price is more than 10 per cent. The saving has come down, particularly of the household, because the disposable income has come down which is due to the unprecedented increase in prices. What is the impact of this? It is affecting employment; contract workers are being retrenched in hundreds and thousands throughout the country. The wages of the unorganized labour are being lowered because there is no job.

You will be surprised to know that the banks are flushed with funds, but nobody is taking money from the banks for new investment because the profit-expectation is very low. Who is to be blamed? The policy is to be blamed. I do not go into 'persons'. I do not like to make it political; it is a national issue. The country which is going to celebrate Independence Day, just day after tomorrow, is doing it under the shadow of great depression and inflation. There is no word from the Government.

What is being talked about? Important persons in the Government are saying that the subsidy should be withdrawn, which means that the farmers will be killed. What are they saying? They are saying that the price of petrol should be increased. What are they saying? The price of diesel should be increased. What are they saying? They are saying that the FDI in retail trade is the panacea to restore the economy from the deep distress.

I demand a White Paper from the Government; I respectfully urge upon the Chair to decide a date, as soon as possible, to discuss this issue of crisis in the economy, stagnation and price rise. I want an assurance from you; as soon as possible, there should be a discussion in the House.

MR. CHAIRMAN : Those hon. Members who want to associate with this matter, may please send slips to the Table.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Sir, I demand that there should be a structured debate on this very important issue. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Speaker will decide that matter.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Nishikant Dubey, Shri P. Lingam, Shri Shivkumar Udasi, Shri Devji M. Patel, Shri A.T. Nana Patil, Dr. Sanjay Jaiswal, Shri Rajendra Agrawal, Shri Jitendra Singh Bundela, Shri Arjun Ram Meghwal, Shri Ashok Argal, Shrimati Darshana Jardosh, Shrimati Jayshreeben Patel, Shri Mahendrasinh P. Chauhan, Shri Ramsinh Rathwa, Shri Sohan Potai, Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Dr. M. Thambidurai, Shri S. Semmalai, Shri C. Rajendran, Shri O.S. Manian, Shri P. Kumar, Shri M. Anandan, Shri C. Sivasami, Shri K. Sugumar, Dr. P. Venugopal, Shri Bhartruhari Mahtab, Dr. Prasanna Kumar Patasani, Shri Prasanta Kumar Majumdar, Shrimati Harsimrat Kaur Badal, Shri Bibhu Prasad Tarai, Shri P.K. Biju, Shri Jaswant Singh, Shri Khagen Das, Sk. Saidul Haque and Shri Pulin Bihari Baske are allowed to associate with this issue.

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): सभापति जी, जो विषय कामरेड गुरुदास दासगुप्ता ने यहां रखा है, मैं उससे अपनी पार्टी की तरफ से सम्बद्ध करते हुए आपके संज्ञान में लाना चाहती हूं कि जब स्पीकर साहिबा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो उन विषयों को सूचीबद्ध किया गया था, जिन पर हम चर्चा कराना चाहते हैं और यह विषय देश की अर्थव्यवस्था पर गहराते हुए संकट को देखते हुए बहुत ऊपर रखा गया था।

मेरी आपके माध्यम से यह मांग है कि अगली बीएसी की मीटिंग में हम वह तिथि तय कर दें, जिस दिन इस पर चर्चा हो। क्योंकि जैसा कहा गया है कि स्ट्रक्चर्ड डिबेट बहुत जरूरी है और बाकी विषयों की गम्भीरता को देखते हुए यह विषय बहुत ही ज्यादा गम्भीर है तो अगली बीएसी में अगर तिथि तय हो जायेगी कि किस दिन इस पर चर्चा की जायेगी तो हम सब लोग इस पर स्ट्रक्चर्ड डिबेट कर सकेंगे, इसलिए अगले दिन इसकी तिथि तय कर दी जाए।

MR. CHAIRMAN: I will listen to you also.

… (*Interruptions*)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Sir, the country is facing an acute economic crisis; there is a need for a structured debate; we also made this suggestion in the Leaders' meeting; so, a date may be fixed for this. … (*Interruptions*)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): यह पूरा होना चाहिए।

श्री राजनाथ सिंह (ग़ाज़ियाबाद): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में हाल-फिलहाल घटित हो रही कुछ पीड़ादायी घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आये दिन चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रोनिक मीडिया हो, ऐसी खबरें हमारे देशवासियों को मिल रही हैं और देशवासियों को ही नहीं बल्कि मैं समझता हूं कि सारी दुनिया के लोगों को देखने को मिल रही हैं कि पाकिस्तान में इस समय अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जिनमें विशेष रूप से हिन्दू और सिख प्रमुख हैं, आज वे पूरी तरह से असुरक्षित हैं। उनकी जान और माल की सुरक्षा दोनों संकट में पड़ी हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह मज़हबी दृष्टि से भी और साथ ही साथ मानवीय दृष्टि से भी केवल निंदनीय ही नहीं है बल्कि यह पूरी तरह से शर्मनाक है। मैं चाहता हूँ कि संसद से कम से कम इस लोक सभा के चेयर की तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए और जो कुछ भी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हो रहा है, सर्वसम्मति से उसकी निंदा की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से यह भी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि 20 हिंदू परिवार और सिख परिवार पाकिस्तान को छोड़ कर भारत आ चुके हैं और वे यहां की सरकार से नागरिकता की मांग कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि हमको शरण दी जानी चाहिए। 250 तीर्थ यात्री, जिन्हें पाकिस्तान और भारत की सीमा, वाघा बार्डर पर रोक कर, उनसे अण्डरटेकिंग ली गई कि भारत जाने के बाद, आज पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इसकी चर्चा आप हिंदुस्तान में नहीं करोगे। आप यह भी गारंटी दो कि भारत जाने के बाद तुम वापस आओगे। इतना ही नहीं मैने दो इलैक्ट्रॉनिक चैनल्स पर यह भी देखा था कि सरेआम एक हिंदू युवक का धर्मांतरण वहां पर करवाया जा रहा है। उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। समाचार-पत्रों में यह भी पढ़ने को मिला कि चौदह वर्ष की एक बालिका का अपहरण किया गया। अपहरण किए जाने के बाद उसका धर्मांतरण हुआ। उसके माता-पिता ने जब पुलिस के पास जा कर गुहार लगाई तो पुलिस ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया और उसके विरूद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू पंचायत के एक प्रमुख नेता श्री लक्ष्मण दास पेरवानी ने भारतीय मिशन और साथ ही साथ अमेरिकन मिशन को पत्र लिख कर यह गुहार की है कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक हैं, चाहे वे हिंदू हैं या सिख हैं, उनकी जान और माल की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। इसके लिए

पाकिस्तान के ऊपर जो भी दबाव बनाया जा सकता है, वह दबाव भारत और अमेरिका की तरफ से बनाया जाना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करता हूँ कि भारत सरकार पाकिस्तान के राजदूत को बुला कर अपनी चिंता से, अपनी नाराज़गी से अवगत कराए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाना चाहिए ताकि वहां के अल्पसंख्यकों के जान और माल की सुरक्षा की गारंटी मिल सके। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध था।

MR. CHAIRMAN : Those who want to associate themselves, please send their names at the Table of the House.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The same issue was there listed in the 'Zero Hour'. If I am allowed to speak; then should I speak or should I speak later?

MR. CHAIRMAN: I will give you time after Shri Mulayam Singh Yadav.

श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम. पटेल, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री सी.आर.पाटिल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, श्री अशोक अर्गल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला, श्री भूपेन्द्र सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री हरिभाऊ जावले, श्री रमेन डेका, श्री विश्व मोहन कुमार, श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, श्री राकेश सिंह, योगी आदित्यनाथ, श्री जोसेफ टोप्पो, श्री गणेश सिंह, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्रीमती जयश्रीबेन पटेल, श्रीमती दर्शना जरदोश स्वयं को श्री राजनाथ सिंह के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सभापति जी, अभी जो सवाल गुप्ता जी, राजनाथ सिंह जी और नेता विरोधी दल ने उठाया है, मैं भी इस राय का हूँ कि सदन के अंदर इस पर चर्चा होनी चाहिए। हम यह चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो हो रहा है, उसकी प्रतिक्रिया हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। इसलिए बेहतर होगा कि इस पर सदन में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। सरकार का क्या दृष्टिकोण है? क्या सरकार ने अभी तक इस संबंध में पाकिस्तान के राज़दूत से या किसी भी स्तर पर कोई ऐसी बात कही है? सारे अख़बार भरे पड़े हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी चर्चा है। मैं समझता हूँ कि देश में जो भी मानवतावादी हैं, उन सब में चिंता की बात होगी। चिंता है और चिंता करनी चाहिए। यह विषय न हिंदू का है और न मुसलमान का है। यह मानवता के खिलाफ अन्याय है। यह मानवता का सवाल है। मानवता के सवाल पर हिंदुस्तान की नीति रही है। पं. जवाहर लाल नेहरू जी ने एक बार कहा था कि किसी भी देश के अंदर अगर मानवता का हनन

होगा, अत्याचार होगा तो हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। यह नीति हमारे हिंदुस्तान की लगातार रही है। ऐसा नेहरू जी का पुराना बयान है, मैंने एक जगह पुस्तक में यह पढ़ा है।

सभापति जी, इसलिए आप अपनी चेयर से ही घोषणा कर दीजिए कि इस पर चर्चा हो और चर्चा विस्तार से हो। यहां जो मांग की गयी है, मैं उस मांग से सहमत हूं कि राजदूत को आज ही प्रधानमंत्री जी तलब करके उनसे अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर दें, नाराजगी जाहिर कर दें। अगर वहां ऐसा हो रहा है तो मेरी यह राय है कि इसकी निंदा होनी चाहिए।

सभापति महोदय : श्री पन्ना लाल पुनिया, श्रीमती पुतुल कुमारी अपने आपको श्री मुलायम सिंह यादव जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Mr. Chairman, Sir, Ifrah Siddiqui at a Youth Talent Festival, 2012, delivered an impassioned speech on the subject of 'Rights of Minorities'. I quote:

> "The fact is that there are no minority rights in Pakistan from Shantinagar to Gojra. The history of this land is full of the murders of the minorities. In a country where sectarian terrorism consumed thousands of lives and minorities have been forced to live in fear, Article 20 of the Constitution is nothing but hollow words."

Ifrah Siddiqui is a student of St. Anthony's High School of Lahore. Article 20, she referred to is in the Constitution of Pakistan. She was expressing the plight of the minorities of Pakistan. Kidnappings, forcible conversions and marriages of minor girls, ransacking of residences, robbing of commercial establishment and religious persecution continues unabated in Pakistan. The State apparatus is either non-existent or a mute spectator. This opinion is voiced by an overwhelming majority of Hindu pilgrims who entered India last Saturday which is day before. Slightly well of members are migrating to Karachi or to Islamabad or even to Dubai with no let up in crimes against Hindus in Sindh, Baluchistan and other disturbed areas. They are living in constant fear.

The Hindu community are also approaching Indian Mission for help. Unlike some Islamic countries where religious minorities do not enjoy legal protection against discrimination, Pakistan does have equality law for people of

different faiths. In practice, however, Hindus and Christians have many grounds for complaint.

At the time of partition, the Hindus comprised 26 per cent of population including today's Bangladesh that was East Pakistan. Now they are barely two per cent. Pakistan must protect the minority-Hindus. That is what we always ask for.

I urge upon the Government to impress upon Islamabad to provide adequate protection. There are news reports which demonstrate that there is a disconnect between the Home Ministry and the Ministry of External Affairs. Even after the intervention of the Pakistan Supreme Court, their Government is unable to act. The verdict of the fundamentalists is being adhered to. It is high time that our Government should allow the migrant Hindus to come and settle in India. Recently, I read in a newspaper that they have been told that the moment their visa term ends, they should go back to Pakistan. That is not the way India should respond to this issue. Our frontiers should be opened to all Hindus who want to come and settle here. This is the only place which can give them support, succour and security. That should be the approach of our Government.

MR. CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the matter raised by Shri Bhartruhari Mahtab:

1. Shri P.L. Punia
2. Shri Shivkumar Udasi
3. Shri A.T. Nana Patil
4. Shri C.R. Patil
5. Shri Devji M. Patel

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व): सभापति जी, आज़ादी के बाद देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई जिसके कारण देश में एक पैरलल इकोनॉमी, समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई और इस समानांतर अर्थव्यवस्था के कारण, जिसको हम काला धन कहते हैं, जिस पर टैक्स नहीं भरते हैं, ऐसे धन का संग्रह खड़ा होने लगा। धीरे-धीरे टैक्स के इवेज़न के कारण, देश की तत्कालीन सरकारों की नीतियों के कारण

यह धन बढ़ता गया और विदेशी बैंकों में जमा होने लगा। उसकी मात्रा इतनी बढ़ गई कि हमारे सामने जो आँकड़े आए हैं, कोई एक लाख करोड़ कहते हैं, कोई दस लाख करोड़ कहते हैं, सरकार की विभिन्न एजेन्सियाँ 25 लाख करोड़ रुपये तक कहती हैं, 25 लाख करोड़ रुपये तक का काला धन विदेशों के बैंकों में जमा है।

सभापति जी, 2009 का चुनाव मुझे याद है। सबको पता था कि देश में काला धन पैदा होता है। श्रद्धेय आडवाणी जी ने चुनाव में इसको आम जनता का मुद्दा बनाया। पूरे देश को पता चला कि देश में काले धन के कारण आज जो देश की गरीबी, बेरोज़गारी और भुखमरी है, उसके मूल में यह है कि देश में वह काला धन वापस लाने में कांग्रेस की सरकार विफल रही, जिसके कारण देश में यह स्थिति पैदा हुई है। उसके कारण पूरा देश आंदोलित हो गया। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जब सारे देश में इसकी चर्चा हुई, उसके बाद जनआंदोलन शुरू हुआ, जो बात हमने उठाई, हमारी पार्टी के नेतृत्व ने, श्रद्धेय आडवाणी जी ने उठाई, उसको लेकर देश के विभिन्न समाजसेवकों ने, अनेक संस्थाओं ने देश में आंदोलन किये। आज भी रामलीला मैदान में आंदोलन चल रहा है। ...(व्यवधान) पूरा देश इसके साथ जुड़ा हुआ है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : पाठक जी, आप आसन को संबोधित करें।

श्री हरिन पाठक : आंदोलन के तरीकों से उन्हें एतराज़ हो सकता है मगर आंदोलन का जो मुद्दा है जो मेरी पार्टी ने उठाया कि आप नहीं चाहते हैं कि देश का काला धन वापस आए। ...(व्यवधान)

सभापति जी, हमने मांग की थी कि काले धन के बारे में एक श्वेत-पत्र जारी किया जाए।

सभापति महोदय : हरिन जी, आप उधर देखते क्यों हैं? आप आसन की ओर देखिये।

...(व्यवधान)

SHRI HARIN PATHAK : I am not yielding. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing, except what is being said by Shri Harin Pathak, will go on record.

(Interruptions) …[*]

श्री हरिन पाठक : सभापति जी, हमने मांग की थी कि काले धन के बारे में इतनी उत्तेजना है और जिसको वापस लाने से देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, तो उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। वह सदन में किया। तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने श्वेत-पत्र रखा, मगर श्वेत-पत्र में छिपाया ज्यादा और बताया

---

[*] Not recorded.

कम। देश में परिस्थिति यह हुई कि फिर आंदोलन शुरू हो गया। मुझे इस बात का बहुत दुख, वेदना और पीड़ा है कि हमारा तंत्र कैसा है, हमारी सरकार कैसे चलती है। ...(व्यवधान) विक्रम जी आप बैठिये। यह आपका विषय नहीं है। आप गुजरात में चिल्लाओ। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आदरणीय पाठक जी, आप खुद ही उलझते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आसन की ओर देखिये।

श्री हरिन पाठक : सभापति जी, मैं सदन से प्रार्थना करता हूँ कि ध्यान से सुनें। यूएन रिज़ॉल्यूशन के बाद छोटे-छोटे देशों ने, उनके देशों का जो काला धन विदेशी बैंकों में जमा था, उसको वापस ले लिया। छोटे देशों ने काला धन वापस ले लिया, वह धन अपने देश में वापस लाए और देश की प्रगति और उन्नति में वह काम आया लेकिन हमारी सरकार ने कहा कि 2012 के बाद हम काला धन वापस लाने के लिए ट्रीटी करेंगे, समझौता करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 2012 अप्रैल तक यूपीए सरकार ने इस देश का जो काला धन विदेशों में लाखों करोड़ों रुपये पड़ा है, उसको वापस लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया मगर उनको छूट दे दी कि आप काला धन कहीं और ट्रांसफर कर दो। इतना बड़ा अपराध आपने देश के साथ किया। मैं जानना चाहता हूँ कि 2012 अप्रैल पूरा हो गया, 2012 अप्रैल के समझौते पूरे हो गए, उसके बाद सरकार बताए कि कितने पैसे वह काले धन के रूप में देश में वापस लाए। ...(व्यवधान) दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज आंदोलन के अंदर...(व्यवधान) प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। यह मेरी और आपकी इज्जत का सवाल है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हरिन जी, कृपया करके आप कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : सभापति जी, मुझे लगता है कि काले धन के बारे में सरकार कुछ छिपाती है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए कुछ लोग हैं, जिनका बहुत भारी मात्रा में काला धन विदेशों के बैंकों में पड़ा है, इसलिए वह अपना नाम देश को बताना नहीं चाहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं और देश जानना चाहता है कि किन-किन लोगों के पैसे हैं। मेरे पास तो इनफोर्मेशन है, उसमें ऐसा है कि सरकार में बैठे हुए बड़े-बड़े नेता और कुछ लोगों के पैसे विदेशों के बैंकों में हैं। उसके कारण सरकार काले धन के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। मेरी आपके द्वारा सरकार से मांग है कि वह बताए कि अप्रैल, 2012 के बाद छोटे-छोटे देशों ने जब यह काला धन अपने देशों में वापस लिया तो भारत सरकार कब वापस लाएगी और क्या कदम उठाएगी? आज जो आंदोलन चल रहा है उसको देश का समर्थन है और देश जानना चाहता है कि काला धन देश में कब वापस आएगा? ..(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Those who want to associate may please send their names to the Table of the House.

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : संजय जी, अन्नू टण्डन जी बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): महोदय, विपक्ष की तरफ से काले धन के मुद्दे पर जो विषय रखा गया है, मैं उस पर एसोसिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक जानकारी सदन में रखना चाहता हूं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : संजय जी, ऐसा तो नहीं होता है। आप ही की दल की अन्नू जी बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : केवल अन्नू टण्डन जी की बात प्रोसीडिंग में जाएगी।

...(व्यवधान) *

MR. CHAIRMAN: The House cannot run in this way. संसदीय कार्य मंत्री जी, कैसे हाउस चलेगा! मैंने अन्नू टण्डन जी को बोला है, लेकिन वह बोले जा रहे हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : संजय जी, आप ही की दल की अन्नू जी बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अन्नू जी को बोलने दीजिए। अन्नू जी आप बोलिए।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: This is not the way.

... (*Interruptions*)

सभापति महोदय : संजय जी, आप तो बड़े अनुभवी सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री शिवकुमार उदासी, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री देवजी एम. पटेल, श्री सी.आर.पाटिल, श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ल, श्री कौशलेन्द्र कुमार, श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अशोक अर्गल, श्री सोहन पोटाई,

* Not recorded.

श्री रामसिंह राठवा, श्री चंदूलाल साहू और डॉ. किरोड़ी लाल मीणा अपने को श्री हरिन पाठक द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करते हैं।

श्रीमती अन्नू टण्डन : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा में बैंकिंग सिस्टम के द्वारा पैसे देने का काम शुरू किया गया है। पहले कैश में पैसे दिए जाते थे, जिसमें बहुत दिक्कत थी। परंतु आज महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले भुगतान के संबंधित समस्या पर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।...(व्यवधान)

12.28 hrs.

At this stage Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

महात्मा गांधी नरेगा के मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीणों को अपनी मेहनत का भुगतान समय से मिले और उन्हें बैंकों में बहुत चक्कर न लगाने पड़े।...(व्यवधान) वर्तमान मे स्थिति ऐसी है कि बैंको की शाखाएं ज्यादा नहीं हैं।...(व्यवधान) अधिकतम यह जो शाखाएं हैं, वह टाउन एरिया में हैं या तहसील में हैं, लेकिन वह गावों में नहीं हैं।...(व्यवधान) क्योंकि वह कमर्शियली वायबल नहीं होती हैं, इसलिए वह शाखाएं कम हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप लोग सीट पर जाइए। मैं इनके भाषण के बाद आपको बोलने का मौका दूंगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : उसका नतीजा यह होता है कि हमारे किसानों को अपनी मजदूरी का भुगतान लेने के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है।

सभापति महोदय : आप लोग कृपया करके अपनी सीट्स पर जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अन्नू टण्डन : हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में इस समस्या के बारे में महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा कार्यक्रम के दौरान ध्यान आकर्षण किया था।

12.30 hrs.

At this stage Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members went back to their seats.

उस दौरान उन्होंने इस पर चिंता व्यक्त की थी और कॉन्करेन्ट ऑडिट की भी बात की थी। उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र उन्नाव के सुमेरपुर में कुछ महिलाएं मेरे पास आयी थीं। उन्होंने मुझसे यह शिकायत किया था कि उनकी मेहनत का पैसा उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। कई बार वे बैंकों के चक्कर लगाती हैं, लेकिन वहां के बैंक कर्मचारी उनसे अधिकतर गुस्से से बात करते हैं और उनके साथ बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। कभी-कभी उन लोगों को वे बैंक से बाहर भी निकाल देते हैं। इस पर हम लोगों को विचार करना पड़ेगा।

पहले तो यह तय करना है कि यदि ग्रामीण पैसा लेने जा रहा है तो ऐसा न हो कि वह पूरे दिन बैंक में लाईन में ही खड़ा रहे और इसकी कोई गारंटी न हो कि उसे उसी दिन उसके पैसे का भुगतान हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि उसे दुबारा अगले दिन बुलाया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि उनकी एक दिन की दिहाड़ी चली जाती है। वे उस दिन मजदूरी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें पूरा दिन बैंक में अपने पुराने भुगतान के लिए खड़ा होना पड़ता है।

यहां पर आज मैं यह जरूरत महसूस करती हूं कि बैंक और एजेंसी, जो ग्रामीणों को भुगतान देते हैं, वे सही तरीके से उन्हें भुगतान करने की कोशिश करें या हमारा बैंकिंग से संबंधित मंत्रालय कोई दूसरा तरक़ीब निकाले कि मोबाईल बैंकिंग यूनिट्स घूमना शुरू करे या कोई और एजेंसी इसमें भागीदार बने। …(व्यवधान) लेकिन यह एक समस्या है कि बड़ी मुश्किल से तो उनकी मजदूरी का भुगतान होता है और वह भी एक दिन की मजदूरी जाने के बाद। इसमें अगर गरीबों की कुछ मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय : श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री एस.एस. रामासुब्बू, श्री कमल किशोर 'कमांडो', श्री सी.आर.पाटिल, श्री शिवकुमार उदासी, श्री देवजी एम. पटेल और श्री ए.टी. नाना पाटील स्वयं को श्रीमती अन्नू टन्डन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़): सभापति जी, मुम्बई के आज़ाद मैदान में रज़ा एकैडमी और आवामी विकास पार्टी, इन दो संस्थाओं की ओर से कोकराझार की घटना के खिलाफ़ लगभग पचास हजार प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। सबसे पहली बात है कि इनको इज़ाजत क्यों दी गयी? क्या सरकार इस बात को जानती थी कि पचास हजार से ज्यादा लोग जो बिल्कुत आतंक फैला रहे थे और धर्मांध बने हुए थे, उन

लोगों ने कोकराझार की घटना के खिलाफ आंदोलन का नाम लेकर पुलिस और मीडिया पर हमला किया। वहां पर 44 पुलिस के जवान घायल हुए। वहां पर जो शहीद अमर जवान ज्योति है, उसे ध्वस्त किया गया।

सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहा था? क्या उन्हें इस बात की खबर नहीं ? वहां इतनी बड़ी संख्या में धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर आतंक फैलाया गया, वहां सड़कों पर चलने वाली कारें जलायी गयीं, पुलिस के वैन जलाए गए, मीडिया के वैन जलाए गए और इतना सारा आतंक होने के बाद भी सरकार खामोश है। महिला पुलिस कर्मचारियों पर भी हाथ डाला गया। ...(व्यवधान)

सभापति जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है?

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record except what Shri Anant Gangaram Geete is saying.

(Interruptions) ...[*]

MR. CHAIRMAN : Shri Anant Geete, please conclude.

… (*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह विफल रही है। इस तरह से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है। पुलिस का मनोबल तोड़ने की साजिश रची जा रही है। ...(व्यवधान) यह केवल मुंबई का मामला नहीं है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, why are you standing?

… (*Interruptions*)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह विफल रही है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति जी, सरकार को सदन में बयान देना चाहिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री रमेन डेका, श्री शिवकुमार उदासी एवं श्री ए.टी. नाना पाटील श्री अनंत गंगाराम गीते जी के साथ अपने को सम्बद्ध करते हैं।

---

[*] Not recorded.

…(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Sanjay Nirupam, please sit down.

… (*Interruptions*)

12.36 hrs.

At this stage Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned to meet again at 2 p.m.

12.37 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.00 hrs</u>

The Lok Sabha re-assembled at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

<u>14.0 ¼ hrs.</u>

At this stage, Shri Chandrakant Khaire and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

<u>14.0 ½ hrs.</u>

At this stage Shri Virendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(*Interruptions*)

<u>14.0 ¾ hrs.</u>

MATTERS UNDER RULE 377*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House.

Hon. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may hand over slips at the Table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table. The rest will be treated as lapsed.

… (*Interruptions*)

(i) Need to provide adequate funds for the construction of Adarsha Vidyalayas in Chamarajanagar district, Karnataka

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): The Rashtriya Madhyamik Shiskha Abhiyan Samithi (RMSA) is a society associated for

---

* Treated as laid on the Table.

implementing the programme of establishing Model School named Adarsha Vidyalaya through district and block offices of Department of Public Instruction in Karnataka. Adarsha Vidyalaya is a component of the centrally sponsored scheme of Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India. The concept of Adarsha Vidyalaya intends to have infrastructure and other facilities of the same standard as in the case of Kendriya Vidyalayas. So far, Adarsha Vidyalayas have become functional in 74 educationally backward blocks of Karnataka from 2010-11 onwards. These Adarsha Vidyalayas have English as the medium of instruction with English offered as first language. Presently these schools are functional within existing accommodation available in the location. The process to identify suitable sites for construction of permanent building is in progress. The academic process in these schools is by using services of teachers on deputation basis from nearby schools in the block. So far seven Adarsha Vidyalayas have been sanctioned to seven taluk and they are functioning in private building without any infrastructure for the last three years in Chamarajanagar Parliamentary Constituency in Karnataka. Nearly 150 students have got admission in each Adarsh Vidyalaya in the district. Though the sites have been sanctioned for the construction, the funds are yet be to sanctioned. There were reports of parents taking away their children from the Vidyalaya and getting them admittted to some other schools due to lack of infrastructure. Such situation is deplorable and should be avoided immediately.

Hence, I would like to urge the Hon'ble Minister of Human Resources Development, through the Chair, to take steps to allocate enough funds for the construction of Adarsha Vidyalaya in Chamarajanagar district in Karnataka to give quality of education to children of poor people.

(ii) **Need to take immediate steps to mitigate the plight of farmers in Wayanad, Kerala**

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): Wayanad is a predominantly agrarian district which at present is under the throes of a devastating agricultural and farming crisis. Many farmers have committed suicide owing to the crisis and such a volatile situation requires an urgent and long term oriented intervention by the government. The suicides of farmers, owing to farming debt, affect the entire agrarian class and natural calamities are adding to their burden and plight. The same conditions affect the general agrarian community in Wayanad and I would request the Government to take immediate steps to mitigate the plight of farmers in Wayanad by initiating measures such as waiver of interest for agriculture loans availed by small and marginal farmers, instituting a comprehensive mechanism for pro-farmer re-determining of interest rates to be applied for agricultural loans, expanding the scope of moratorium, even on agricultural loans taken from private sector banks, regular revision of minimum support price for commodities by taking into account the factor of market volatility, bringing regulations on speculative trading on basic farm produce, agricultural produce mapping and insurance based on such, strict legal action against harassment by banks on loan defaulters, Waiver policy for loans reassessed and farmers' representatives view to be heard, infusion of greater technologies to improve yield and seed quality.

I would hence request the Government to constitute a panel of experts to assess the existing situation and announce a comprehensive package for Wayanad to mitigate the farmers' distress immediately.

(iii) Need to provide education loan to students particularly in Kerala

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I invite the attention of the Government towards the serious issue being faced by students for getting education loan from banks to complete their studies. Despite strict Government directions banks are reluctant to provide education loans. Thousands of students are struggling to continue their studies due to discrimination by banks in granting education loan. The decision of Indian Banks Association to limit the education loan for students who secure admission to professional courses in merit quota will badly affect students. The impact of this decision will affect a large number of students especially in highly literate states like Kerala. The Indian Banks Association is claiming that they have consulted experts in the metropolitan cities. But they are not aware of the pathetic situation of the rural India. In rural and backward areas, students especially SC/ST students are not getting higher marks. The circular of IBA is against the guidelines of Government of India and the RBI. I request the Government to take necessary steps to revert this decision. I also request the Government to take necessary measures for timely disbursement of educational loans and to take prompt action against banks defaulting on education loan disbursement to the students.

(iv)Need to sanction railway link between Pachore and Shujalpur in Madhya Pradesh

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेलवे का एक ट्रैक ग्वालियर-इंदौर, वाया गुना, ब्यावरा मक्सी होकर मौजूद है । इस रेलवे ट्रैक पर पचोर रोड़ स्टेशन आता है, जहां से शुजालपुर की दूरी लगभग 40 कि.मी. है । इस रूट पर कोई रेलवे लाईन नहीं है । शुजालपुर जो है वह इन्दौर, उज्जैन से भोपाल रेलवे ट्रैक को जुड़ा हुआ है ।

, मेरा सरकार से अनुरोध है कि पचोर रोड़ से शुजालपुर तक नई रेलवे लाईन बिछाने के कार्य को स्वीकृति मिल पाती है तो केवल संसदीय क्षेत्र राजगढ़ ही नहीं समीपस्थ राजस्थान राज्य के भी कई कस्बों व शहरों को भोपाल जाने के लिए सीधी रेल सुविधा का लाभ नहीं मिल सकेगा ।

कृपया इस नये रेल मार्ग को शीघ्र सर्वे करने हेतु स्वीकृति प्रदान करें जिससे कि आम जनता को अपने समय और धन की बचत हो सके ।

(v)Need to set up industrial units in Sabarkantha Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): मेरा संसदीय क्षेत्र साबरकांठा (गुजरात) एक आदिवासी, दलित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का क्षेत्र है । देश की आजादी के 65 साल बाद भी मेरा क्षेत्र अत्यधिक रूप से पिछड़ा हुआ है । यहां आज तक रेल का समुचित विकास नहीं हो पाने की वजह से कृषि क्षेत्र के विकास पर भी लगातार विपरीत असर पड़ रहा है । अति पिछड़ेपन की वजह से स्थानीय स्तर पर रोजगार न मिल पाने के कारण लोगों का शहरों की तरफ पलायन हो रहा है । शहरों में पलायन के बाद भी शोषण का शिकार होकर इन बेरोजगार लोगों की स्थिति और दयनीय हो जाती है । अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि कोई न कोई उद्योग हमारे क्षेत्र में स्थापित किया जाए जिसके लिए हमारे क्षेत्र में पानी एवं बिजली की पर्याप्त उपलब्धता है ।

(vi)Need to ensure proper repair and maintenance of railway bridges on Ratlam-Khandwa railway line in Madhya Pradesh

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): रतलाम-खण्डवा मीटर गेज खण्ड करीब 125 वर्ष पुराना रेल मार्ग है जिस पर अनेक महत्वपूर्ण पुल, पुलिया तथा बोगदे निर्मित हैं । पुलों का रखरखाव पूर्व से ही उचित रूप से नहीं हो रहा है और विशेषतः आमान परिवर्तन की स्वीकृति के पश्चात इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मैंने विगत वर्ष तथा अनेकों बार अन्यथा भी इस संबंध में रेलवे बोर्ड महाप्रबंधक पश्चिमी रेलवे तथा माननीय रेल मंत्री महोदय को भी अवगत कराया था । इन पुलों के रखरखाव में हो रही त्रुटियों के कारण कभी भी गंभीर हादसा होने की संभावना बनी रहती है और ऐसा ही एक हादसा केवल गैंगमैन की सतर्कता से पिछले माह होते-होते बचा है । महू से चलकर रतलाम की ओर जाने वाली यात्री गाड़ी को फतेहाबाद बडनगर के मध्य स्थित पुल से गुजरना था जिसमें दरारें आई थी और मिट्टी का क्षरण भी हुआ था । समय रहते उक्त वस्तु स्थिति गैंगमैन के दृष्टि में आने से उसके द्वारा यात्री गाड़ी को रोका गया तथा यात्री गाड़ी को कई किलोमीटर पीछे की ओर यात्रा करनी पड़ी । यह इस बात का द्योतक है कि भाग के कारण ही सैंकड़ों यात्रियों के प्राण बच पाए और यह भी दर्शाता है कि रखरखाव की ओर किस तरह अनदेखी की जा रही है । ऐसे ही महत्वपूर्ण पुल तथा बोगदे इंदौर से खण्डवा के मध्य पातालपानी, कालाकुण्ड बडवाह, सनावद व अन्य स्थानों पर स्थित है जिनके रखरखाव की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है जहां तक वस्तु स्थिति से मैं अवगत हूं इंदौर-खण्डवा आमान परिवर्तन का कार्य आगामी 10 वर्षों में भी पूर्ण नहीं होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि यदि ऐसी स्थिति आगे भी बनी रही तो कभी भी जनहानि होने की संभावना है ।

मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि कृपया संबंधित अधिकारियों को न केवल इनके उचित रखरखाव, नवीनीकरण तथा चौकसी के आदेश दिए जावे वरन समय-समय पर इस संबंध में विशेषज्ञों द्वारा जांच भी कराई जावे । मैं रेल मंत्री से यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि इस संबंध में केवल परंपरागत उत्तर से अलग हटकर वास्तविक स्थिति को स्वीकार करते हुए सुरक्षा के उचित कदम उठाए जाने चाहिए ।

(vii) Need to set up Trauma Centres on National Highways particularly On NH No. 23 and NH No. 75 in Lohardaga Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): आज देश के सभी राजमार्गों पर आये दिन सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही हैं । अधिकांश मामलों में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को सही समय पर उपचार न मिल जाने के कारण मृत्यु हो जाती है । ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर बनाये जाने की आवश्यकता है । झारखंड राज्य से होकर गुजरने वाले सभी राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव झारखंड सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजा गया है । उस प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जरूरत है । मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाने एन.एच. 23 और 75 पर भी ट्रामा सेंटर बनाने का प्रस्ताव का ब्यौरा प्रदान करें ।

उपरोक्त राजमार्गों पर बढ़ते यातायात के कारण दुर्घटनाओं मे भी वृद्धि हुई है । अतः आपसे मेरा आग्रह है कि इन दोनों जिलों के अंतर्गत राजमार्गों पर ट्रामा सेंटर अविलंब स्थापित करने के आदेश जारी किए जायें । जिससे कि यहां होकर गुजरने वाले लोगों को सुविधा हो सके ।

(viii) Need to bring Maripat, Dankaur, Dadri, Etawah, Khurja, Aligarh and Tundla railway stations under Agra Division and also expedite construction of third railway line from Aligarh to Delhi via Ghaziabad

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर): मारीपत, दनकौर, दादरी, इटावाख् खुर्जा, अलीगढ़, टुण्डला रेलवे स्टेशन से संबद्ध कार्यों के लिए यहां के लोगों को इलाहाबाद, जो कि यहां से लगभग 800 कि0मी0 की दूरी पर है, जाना पड़ता है। जबकि इन स्टेशनों के निकट आगरा डिवीजन पड़ता है, जिसकी इन स्टेशनों से दूरी लगभग 150 कि0मी0 के आसपास है । ऐसी स्थिति में इन स्टेशनों से सेबद्ध कार्यों के सिलसिले में लोगों का इलाहाबाद आने-जाने में समय भी अधिक लगता है । इसलिए इन स्टेशनों को इलाहाबाद डिवीजन के स्थान पर आगरा डिवीजन से संबद्ध किया जाना चाहिए ।

अलीगढ़ से दिल्ली वाया गाजियाबाद होते हुए रेलवे की तीसरी लाईन का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है । विशेषतः अजयपुर से दादरी तक की स्थिति तो बहुत ही खराब है । चूंकि, यह क्षेत्र राजधानी दिल्ली के निकट पड़ता है । इसलिए इस क्षेत्र से यात्रियों का राजधानी दिल्ली में अपने काम-काज के सिलसिले में एक बड़ी संख्या में आना-जाना होता है । लकिन, निर्माण कार्य बाधित होने के कारण उन्हें काफी दिक्कतें हो रही है । इसलिए, इस रेलवे लाईन के निर्माण कार्य को वरीयता देते हुए जनहित में अविलंब पूरा किया जाए ।

(ix)Need to repair railway line between Dhamhara and Koparia railway stations in Bihar under East Central Railways Zone

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर अंतर्गत, रेल डिवीजन समस्तीपुर के धमहारा से कोपड़िया स्टेशानों के बीच फनगो हाल्ट के नजदी कोशी नदी के पानी से रेल ट्रैक पर खतरा उत्पन्न हो गया है । बचाव कार्य धीमी गति से चल रहा है । उक्त स्थल पर पूर्व में रेलवे लाईन से सटे हुए कई स्पर बने हुए थे, जिसके क्षतिग्रस्त होने के बाद उसकी मरम्मत नहीं कराई गई ।

उक्त रेलखंड कई जिला यथा सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया एवं पूर्णिया जिला का संपर्क रेल पथ है, इसे बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम कराने की आवश्यकता है और बाढ़ के बाद रेल खंड की सुरक्षा के लिए आवश्यकतानुसार स्पर का निर्माण एवं बोल्डर केटिंग/पिचिंग के कार्य कराकर उक्त रेलखंड को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक कारवाई की जाए।

(x)Need to provide water for irrigation from the Mettur Dam to farmers in Tamil Nadu

SHRI A.K.S. VIJAYAN (NAGAPATTINAM): The 40-year long Cauvery Water crisis is to hit hard this year for the Cauvery Delta Farmers. The river water sharing dispute has not been solved as yet and the monsoon failures have always been adding to the woes of the agriculturists affecting the farm production in the Cauvery Delta Region. This year the traditional date of opening Mettur Dam has not been adhered to. The D-Day looked forward to by the farmers to commence the Sambha cultivation has been given a go by. At this juncture, I would like to point out that even "Kuruvai" cultivation prior to this was greatly affected and not taken up in many places because water was not released in time. It is naturally expected of the Centre to impress upon the upper-riparian-state to share at least equally this natural water resource with the lower riparian state that has got more rights over the water in that river-system.

This year, it is predicted that the Storage level in our Dams would be far below the annual capacity. Hence, it is imperative to see that the irrigation is commenced right now during this Adi Pattam.

It is requested the the Centre may intervene on a humanitarian basis for requesting both the Governments of Karnataka and Tamil Nadu to take steps to see that water is released immediatelv for irrigation.

I urge upon the Union Government to take suitable steps to see that the Mettur Dam is opened for irrigation at the earliest.

(xi) Need to strengthen laws to control incidents of people being used as guinea pigs in clinical trials

SHRI P.K. BIJU (ALATHUR): The incidents of illegal drug trial practices on human being conducted by the private companies with or without the knowledge of the victims are increasing. For the First time since 2010 when six tribal girls from Gujarat and Andhra Pradesh involved in the clinical trials of anti-cervical cancer HPV vaccine died, the Government has admitted that 1,725 persons have lost their lives to drug trials in the last four years. The number of deaths has risen from 132 in 2007 and 288 in 2008 to 637 in 2009 and 668 last year, indicating the complete ineffectiveness of regulatory Controls over the $400 million sector. Last year, the Government gave compensation in just 22 cases out of the 668 that resulted in deaths due to "serious adverse events" during drug trials. Currently, 1,868 clinical trials are going on as per the Clinical Trial Registry of India maintained by the office of the Drug Controller General of India (DCGI). Many of the drugs being tested are not even of specific relevance to the country and could have been tested anywhere. Equally shocking is the fact that the rules, under the Drugs and Cosmetics Act, entirely trust the trial investigator with the reason attributed for the death of a subject. This is resulting in gross under-reporting of actual deaths during clinical trials.

Illegal and unethical clinical trials were being done on poor persons including juveniles, tribals and dalits who were used like guinea pigs for testing of drugs and vaccines produced by multinational corporations. Most of the pharmaceutical companies that are involved in the spreading such activities are private and their policies are not always clearly revealed to the institutions that are supposed to regulate their behaviour. They use contract research organisations (CROs) to conduct the trials. Unfortunately there is no mechanism to control it.

I strongly urge the government to take stringent actions against the private companies for using people as guinea pigs. I also urge to enact new as well as strengthening of existing laws in order to ensure avoidance of such of above mentioned incidents in the future.

(xii) Need to provide Rajasthan's share of water from the Ranjit Sagar Dam

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): राजस्थान राज्य को रावी व्यास जल, रणजीत सागर बांध,पौंग बांध, एवं भाखड़ा बांध से प्राप्त होता है । रणजीत सागर बांध पंजाब राज्य के नियंत्रण में है एवं अन्य दो बांध भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल (बी.बी0एम.बी.) के नियंत्रण में है । वर्तमान में राजस्थान के हिस्से का लगभग 72000 क्यूसेक दिवस पानी पंजाब रीलीज नहीं कर रहा है । इस कारण से इंदिरा गांधी नहर में पेयजल हेतु भी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है । न्यूनतम आवश्यकता 2200 क्यूसेक पानी के विरूद्ध केवल 1100 क्यूसेक पानी ही मिल रहा है जिससे नहरों के अंतिम छोर पर पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। इस कारण जनता में भारी आक्रोश है । दूसरी और अब की बार खड़ी फसलें भी पानी के अभाव में नष्ट हो गई । यदि इस समस्या का तत्काल समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विकट हो जाएगी एवं कानून व्यवस्था की गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं ।

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 79 के तहत भांखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल का यह उत्तरदायित्व है कि संबंधित राज्यों को उनके हिस्से का पानी उपलब्ध करायें लेकिन इस मामले में भंखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल ने अपनी असमर्थता जताई ।

इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार का उर्जा मंत्रालय भांखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को तत्काल निर्देश दें कि राजस्थान के हिस्से का पानी रीलीज करावें । यदि पंजाब रणजीत सागर बांध से पानी नहीं छोड़ता है तो राजस्थान को पंजाब के पौंग एवं भाखड़ा बांध में राज्य के हिस्से के पानी से पानी छोड़ा जाए । इससे पंजाब के हक पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । राजस्थान के पानी की मांग इसके निर्धारित हिस्से के अनुरूप है इसेलिए भांखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल को इससे कोई आपत्ति नहीं होने चाहिए । केंद्र सरकार राजस्थान के हिस्से का पानी छुड़वाये ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House would take up Item No. 7.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Sir, I would request you may kindly take up the second Bill after deferring the first one. You may please take up Item No. 8. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I think, the House agrees.

Now, the House would take up Item No. 8. Shri Srikant Jena.

… (*Interruptions*)

14.01 hrs

CHEMICAL WEAPONS CONVENTION (AMENDMENT) BILL, 2012

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to amend the Chemical Weapons Convention Act, 2000, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोगों ने इसे उठाया था न। इस पर गीते जी को बोलने दिया गया था।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया वापस जाइये। आप लोग अपनी सीट पर जाइये।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: अब कुछ भी रिकार्ड में नहीं जायेगा।

(Interruptions) …[*]

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow, 14th August, 2012 at 11.00 a.m.

14.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 14, 2012/Sravana 23, 1934 (Saka).

---

[*] Not recorded.